न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील संख्या –2018/00375 (253/2018) 225 आरटीएक्ट

1. जीतसिह वल्द गुरबक्शसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला, हनुमानगढ।
2. बलवीरकौर पत्नी जीतसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला, हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मखनसिह वल्द विचित्रसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तरविन्द्रसिह वल्द मखनसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सबरजिस्ट्रार एवं उपपंजीयक तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 06.07.2018 प्र.स. 59/2018 बअनवानी मखनसिह आदि बनाम जीतसिह आदि, न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपस्थित :–

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2

निर्णय दिनांकः–23.03.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके साथ एक दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ''चक 2 टी.एल.डब्ल्यू के 22/295 मु.न. 9 कि.न. 6, 7, 14, 15 प.न. 230/295 मु.न. 10 कि.न. 2, 3, 6 ता 18 कुल 4.8070 है0 आराजी में मुताबिक जमाबंदी संवत 2072 ता 2075 प्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2/रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/2 हिस्सा दिनांक 05.10.2016 तक दर्ज रिकॉर्ड था तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हिस्सा माह अक्टूबर 2016 में संदीपसिह वल्द वकीलसिह निवासी टिब्बी को बेचान कर दी। संदीपसिह ने प्रतिवादी संख्या 3 से खरीदशदा भूमि 1/4 हिस्सा में से 0.759 है0 आराजी अपार्थी संख्या 1/अपीलान्ट संख्या 1 को तथा 0.253 है0 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2/अपीलान्ट संख्या 2 को बेचान कर दी तथा 0.190 हिस्सा भूमि संदीपसिह ने पुनः प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर देने के बाद अप्रार्थी संख्या 1/अपीलान्ट संख्या 1 के नाम 0.759 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 2/अपीलाण्ट संख्या 2 के नाग से 0.253 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 0.190 है0 आराजी दर्ज हुई। अपार्थी संख्या 1 व 2/अपीलाण्ट संख्या 1 व 2, प्रार्थीगण की भूमि व अप्रार्थीगण की भूमि संयुक्त रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सा की भूमि अपार्थी संख्या 1 व 2 यानि अपीलांट के खरीदने से अपार्थी संख्या 1 व 2 यानि अपीलांट समस्त खाता के प्रति स्ट्रेन्जर है तथा अपार्थी संख्या 1 व 2 यानि अपीलांट विक्रयनामा के आधार पर अपना हक व कब्जा खरीदशुदा भूमि का केवल कानूनी प्रकिया के तहत बंटवारानामा वाद पेश कर ही डिकी विभाजन के आधार पर ही कब्जा प्राप्त कर सकतें है, जबरदस्ती समस्त भमि 4.8070 है0 आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा करने के अधिकारी नही है तथा विकय पत्र के आधार पर खरीदशुदा आराजी का खाता विभाजन करवाये बिना समस्त भूमि या किसी भाग पर कब्जा में दखल देने के अधिकारी नहीं है।'' के कथनो के साथ पेश करते हुए स्थगन आदेश की मांग की कि चक 2 टी.एल.डब्ल्यू. के प.न. 230/295 मु.न. 10 कि.न. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11/. 051, 12, ता 18 पार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त की आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2/अपीलांट्स किसी प्रकार से दखन्दाजी करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे। अधीनस्थ न्यायला ने प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष स्थगन दरख्वास्त पेश होने पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 6.07.2018 को अपार्थी संख्या 1 व 2 यानि अपीलाण्ट्स के खिलाफ एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया जो निम्न आधारो पर काबिल खारिजी के है। यह कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 कतई गलत, आधारहीन व तथ्यो तथा दस्तावेजो से परे पारित होने के कारण काविल खारिजी के है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 हम अपीलाट्स को सुनवाई का अवसर दिये विना एकपक्षीय जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय के सिन्धात के मुताविक हम अपीलाट्स के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलाट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय हित में आवश्यक था। अतः इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 काबिल खारिजी के है। मुकदमाहाजा में अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेज जमाबंदी चक 2 टी. एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 49/43 में प्रतिवादी संख्या 3 भूपेन्द्रसिह ने अपने हक व हिस्सा की आराजी संदीपसिह वल्द वकीलसिह को कतई बैय व फरोख्त कर कब्जा आराजी संदीपसिह के सुपुर्द कर दिया था तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूपेन्द्रसिह के नाम से दर्ज आराजी राजस्व रिकॉर्ड में भी संदीपसिह वल्द वकीलसिह के नाम से दर्ज हो गई थी तत्पश्चात संदीपसिह ने अपने नाम से दर्ज आराजी अपीलांट्स को वैचान कर अपने कब्जा की आराजी का कब्जा हम अपीलांट्स को सुपुर्द कर दिया था जिस पर अपीलाट्स काविज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा अपीलाट्स की खरीदशुदा आराजी करीब एक साल पूर्व अपीलाट्स के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी तथा अपीलाट्स करीब एक साल पूर्व ही खरीदशुदा आराजी पर काबिज हो गये थे ऐसी स्थिति में आज अपीलाट्स संयुक्त खाता में स्ट्रेन्चर की श्रेणी में नही आते। अपीलाट्स संयुक्त खाता की आराजी में सद्भावी क्रेता है जिनके नाम से नामान्तरकरण हो चुका है,जिनको शांतिपूर्वक काश्त करने का पूर्ण अधिकार है अन्य सहकाश्तकार उनकी काश्त में दखल नही डाल सकते, उपरोक्त तथ्यो व दस्तावेजात को नजरअंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2018 पारित किया गया है जो काबिल खारिजी के है। अदालत मातहत के समक्ष पेश दस्तावेज के मुताविक दरख्वास्त में वर्णित आराजी अपीलाट्स व रेस्पोडेन्टान के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज आराजी है तथा संयुक्त खाता की आराजी में प्रत्येक सहकाश्तकारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 के जरिये विशिष्ट किला नम्बरान पर स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत नही है जो कि काबिल खारिजी के है। प्रश्नगत आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में आता है ये आदेश अंतरिम आदेश नहीं है। अदालत मातहत द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.07.2018 जारी करने के उपरांत आदेश 39 नियम 3 जाब्ता दीवानी की पालना नही की गई, इसी आधार पर भी अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 काविल खारिजी के है। बाकी उजरात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें। लिहाजा अपील अपीलाट्स पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 06.07.2018

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निरस्त किया जाकर, स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलाट्स को जवाबदेही व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 409 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आदेश अंतिम आदेश नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है जो अक्सर जारी किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश अन्तवर्ती आदेश है जो 30 दिवस तक पारित किया गया है तगि दिनांक 06.08.2018 तक ही प्रभावी था इस आदेश से स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अप्रार्थीगण दिनांक 06.08.2010 को वजह जाहिर नहीं करते हैं तो क्यों न इस आदेश को कन्फर्म कर दिया जावे'। इस प्रकार यह आदेश अन्तवर्ती आदेश है अंतिम आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलाण्ट के लिए उज्रएतराज पेश करने हेतु आगामी पेशी दी है। जिसमें अपीलाण्ट को हाजिर आकर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अंतिम रूप से प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट का निस्तारण किया जाना है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही नहीं करके सीधे ही अपील प्रस्तुत कर दी है जो पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी कथनों के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 345, आराआरडी 2015 पेज 146, आरआरडी 2016 पेज 92 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के आदेश दिनांक 06.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज करते हुए प्रश्नगत कृषि भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें के आदेश जारी करते हुए अंकित किया है कि यदि किसी प्रकार उज्र एवं एतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलबी करवाये व रजिस्टर्ड डाक की रसीद न्यायलाय में 3 दिवस में पेश करें। 30 दिवस में अप्रार्थीगण की तलबी नहीं होने पर असथाई निषेधज्ञा निरस्त मानी जावेगी तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 6.8.2018 को पेश हो।'' इस आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अंतिम आदेश नहीं है। अपीलाण्ट को अपने उज्र एतराज पेश करने हेतु उसकी की तलबी का आदेश दिया है अपीलाण्ट के पास अधीनस्थ न्यायलाय में अपने कथन करने हेतु पर्याप्त अवसर हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मगर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर इस आदेश को अंतिम रूप से निस्तारित ना कराते हुए सीधे ही अपील प्रस्तुत कर दी है।

7. धारा 225 आरटीएक्ट निम्न प्रकार है:–

"(1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अन्तिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि अधिनियम की धारा 212 में एवं सिविल प्रक्रिया संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन 1908)"

8. **"सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (14) "आदेश" से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है।"**

9. इस धारा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि **धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अन्तिम आदेशों की अपीलें की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उज्र एतराज पेश करने हेतु अपीलाण्ट को असालतन एवं वकालतन उपस्थित आकर वजह जाहिर करने का अवसर दिया है जो अन्तिम आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। यह एक आदेश अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त** अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही नहीं करके सीधे ही अपील प्रस्तुत कर दी है जो पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता हैं। अतः अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष दिनांक 13.04.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 18:14:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: